रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092020-221721
CG-DL-E-14092020-221721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2020/भाद्र 23, 1942
No. 449] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2020/BHADRA 23, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 555(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारूप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 359(अ), तारीख 09 जून, 2020 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 09 जून, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:----

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 5, उपनियम (1) में:-

(क) (i) खंड (i), उपखंड (अ) में "शहर के भीत्तर यात्रा के लिए प्रत्येक दिन हेतू एक सौ पचास रुपये" शब्दों के स्थान पर "शहर के भीत्तर यात्रा के लिए प्रत्येक दिन के लिए तीन सौ अड़त्तीस रुपये" शब्द रखे जाएगे;

(ख) (ii) खंड (ii) में, उपखंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- "(ब) बैठक आयोजित होने वाले स्थान में निवास नहीं कर रहे किसी अशासकीय सदस्य को प्रतिदिन 2250 रुपये यदि वह सदस्य किसी होटल में ठहरे तो और भोजन आदि पर व्यय के लिये प्रतिदिन 900 रुपये से अनधिक संदत्त किया जाएगा"।

[फा. सं. एस-65012/02/2019-एसएस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 22 जून, 1950 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 638(अ), तारीख 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2020

G.S.R. 555(E).—Whereas, a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 359(E), dated the 9th June, 2020 as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 9th June, 2020;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:—

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 5, in sub-rule (1),—

(a) in clause (i), in sub-clause (A) for the words "rupees one hundred and fifty for each day for travel within the city", the words "rupees three hundred and thirty-eight for each day for travel within the city" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for sub-clause (B), the following shall be substituted, namely:—

"(B) a non-official member, not residing at the place where a meeting is held shall be paid, Rs.2250 per day if member stays in a hotel and, not exceeding Rs.900 per day as expenses towards food:".

[F. No. S-65012/02/2019-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification number G.S.R. 638(E), dated the 6th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA